



2026:AHC:3563

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19738 वर्ष 2025

दुर्गा प्रसाद

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : रुपेश कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रुपेश कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस. के. पाल के तर्कों को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति सिविल पुलिस के हेड कांस्टेबल के पद पर 10.01.2011 को हुई थी, हालांकि, 26.05.2025 को उनका तबादला सिविल पुलिस से जी.आर.पी. लखनऊ में कर दिया गया, लेकिन उनकी कार्यभारमुक्ति का आदेश 11.08.2025 को पारित किया गया। उनका निवेदन है कि 06.05.2025 के सरकारी आदेश के अनुसार, कार्यभारमुक्ति एक सप्ताह के भीतर की जानी थी। उनका यह भी निवेदन है कि इस संबंध में 17.10.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया गया है, जिनमें विशेष अपील संख्या 481/2024 में 14.05.2024 को दिया गया निर्णय भी शामिल है।
3. इस याचिका में स्थानांतरण और कार्यभारमुक्ति आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस बात का खंडन नहीं कर सके। उनके अनुसार, सरकारी आदेश और परिपत्र प्रतिवादियों पर बाध्यकारी हैं। उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता को स्थानांतरण की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तिथि से कार्यमुक्ति तक पद पर बनाए रखने के लिए कोई अपवाद नहीं बताए गए हैं। उनका निवेदन है कि आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. जाहिर तौर पर, स्थानांतरण आदेश 26.05.2025 को पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को दिनांक 11.08.2025 के कार्यभारमुक्ति आदेश के तहत कार्यभारमुक्त कर दिया गया था। चूंकि प्रतिवादियों के परिपत्रों में यह उल्लेख है कि कार्यभारमुक्ति 7 दिनों के भीतर की जानी है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस संबंध में अवकाश के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यह मुद्दा अब नया नहीं है क्योंकि इस पर विशेष अनुमति याचिका संख्या 481/2024 में दिनांक 14.05.2024 को निर्णय हो चुका है।

7. तदनुसार, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. प्रतिवादी संख्या 2, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 26.05.2025 को पारित किए गए आक्षेपित स्थानांतरण आदेश और प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस अधीक्षक, कासगंज द्वारा दिनांक 10.09.2025 को पारित किए गए परिणामी आदेश को याचिकाकर्ता के संबंध में रद्द किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

7 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)